हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

39 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक

28–12–05

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव, तीर्थाटन/ पर्यटन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल , देहरादून।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
8. अध्यक्ष, नगर पालिका ऋषिकेश।
9. अध्यक्ष, नगर पचायत मुनि की रेती , टिहरी गढ़वाल।
10. अध्यक्ष, नगर पचायत, रानीपुर हरिद्वार।
11. महन्त, महेन्द्र सिंह, निर्मल बाग, हरिद्वार(नामित सदस्य)
12. अशोक सेठी, ज्वालापुर हरिद्वार(नामित सदस्य)
13. सुनील प्रभाकर, उपाध्यक्ष, गंगा सेवा समिति एवं कोषाध्यक्ष, ट्रक यूनियन,तिलक रोड, ऋषिकेश।

पत्रांक: 2751/ प्रशा0–2(ग)–I–6/ 2005–06 दिनांक30 दिसम्बर,2005

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 39 वीं बोर्ड बैठक(परिचालन विधि) दिनांक 26–12–2005 का कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अध्यक्ष/ आयुक्त ,हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे प्राधिकरण की 39 वीं बोर्ड बैठक(परिचालन विधि) दिनांक 26–12–2005 को प्राधिकरण भवन उपविधि 2000 आदर्श प्रारूप में नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्प रोधी व्यवस्था एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हेतु जारी शासनादेशों को समावेश करते हुये अंगीकृत किया गया है।जिसका कार्यवृत्त एवं भवन उपविधि की बुकलेट संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बनर राम)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि:

1. सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त/ अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उनके पत्रांक 1428/ पी0ए–2005 दिनांक देहरादून, नवम्बर 25 ,2005 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष

---

(3)

अध्यक्ष, ह0वि0प्रा0/ आयुक्त गढ़वाल मण्डल

आपके आदेश संख्या–1428/ पी0ए0/ 2005 25.11.2005 के अनुपालन में आवास प्रबन्धन से संबंधित सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन द्वारा भूकम्परोधी तकनीक एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध मे निर्गत शासनादेश को प्राधिकरण की भवन उपविधि 2000 संशोधित भवन उपविधि 2004 में समावेश करते हुये एक भवन उपविधि तैयार की गयी है जिसे प्राधिकरण की 39वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) के माध्यम से मा0 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(बनर राम) 26/12/2005
उपाध्यक्ष

O.S.

उत्तरांचल शासन

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास,

संख्या: 1183/XVIII-(2)/2005

देहरादून, दिनांक: 23 नवम्बर, 2005

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2005 को उत्तरांचल राज्य में भूकम्प की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये आपदा न्यूनीकरण एवं भूकम्प अवरोधी निर्माण विषय पर आयोजित बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :-

1– श्रीमती विभापुरी दास, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।

2– श्री नृप सिंह नपलच्याल, प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन।

3– श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।

4– श्री पी.सी. शर्मा, सचिव, आवास विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।

5– श्री राकेश शर्मा, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

6– श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।

7– श्री मदन सिंह, सचिव, खाद्य विभाग, उत्तरांचल शासन।

8– श्री राजीव चन्द्र जोशी, अपर सचिव, लो0नि0वि0/परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन।

9– श्री चनर राम, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।

10– श्री कुँवर सिंह, अपर सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।

11– डा0 एम.सी. जोशी, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन।

12– श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन।

13– डा0 पी.सी. नवानी, निदेशक, जी.एस.आई. देहरादून।

14– श्री सुब्रत विश्वास, निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल।

15– श्री आनन्द कुमार शर्मा, निदेशक, मौसम केन्द्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग, उत्तरांचल।

16– डा0 आर. के. पाण्डे, अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

17– डा0 आर.सी. आर्या, महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तरांचल ।

18– ई0 आर.सी. मित्तल, मुख्य अभियन्ता–1, लो0नि0वि0 उत्तरांचल।

19– श्री एस.एम. सक्सेना, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

20– श्री संतोष बडोनी, अनु सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।

21– डा0 कमल, प्रमुख, भूवैज्ञानिक विभाग, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून।

22– श्री हर्ष कुमार, भूवैज्ञानिक, देहरादून।

23– श्री नवीन सिंह, आई.टी.बी.पी., देहरादून।

24– श्री सलेक चन्द्र, अधिशासी अभियता लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(डा0 एम.सी. जोशी)
अपर सचिव

Dy Secy

सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2005 को उत्तरांचल राज्य में भूकम्प की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये आपदा न्यूनीकरण एवं भूकम्प अवरोधी निर्माण विषय पर आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

1. उपस्थिति संलग्न– संलग्नक –1

2. मुख्य सचिव ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में आये भूकम्प से हुई क्षति के क्रम में प्रदेश में भी भूकम्प से सम्बन्धित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्थायें किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही समयबद्ध रूप से किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये।

(अ) विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में भवनों के नक्शों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित निर्देशों के दृष्टिगत यथोचित बाइलॉज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशों की प्रतियॉ सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया जाये।

कार्यवाही– आवास विभाग, आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण

समयावधि– 31.12.2005 तक

(ब) विनियमित क्षेत्रों में भी भारत सरकार द्वारा प्रेषित निर्देशों के दृष्टिगत यथोचित बाइलॉज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही– आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल

समयावधि– 31.12.2005 तक

(स) उक्त से भिन्न सभी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में जहां उनके द्वारा नक्शे पास किये जातें हैं तथा नियंत्रण किया जाता है भारत सरकार द्वारा प्रेषित निर्देशों के दृष्टिगत यथोचित बाइलॉज की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही– नगर विकास विभाग

समयावधि– 31.01.2006 तक

(द) छावनी क्षेत्र हेतु भी भारत सरकार द्वारा प्रेषित निर्देशों के दृष्टिगत यथोचित बाइलॉज की व्यवस्था के लिये सब एरिया कमाण्डर से अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन विभाग

समयावधि– 31.01.2006

(य) सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निगमों/संस्थानों के भवनों व अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में सभी निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं व सम्बन्धित विभागों के द्वारा भूकम्परोधी व्यवस्थायें निर्माण हेतु अपनाने के लिये बाध्यता करा दी जाय। इस व्यवस्था के अनुपालन की व्यवस्था सम्बन्धित सचिवों के माध्यम से की जाय और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को इस हेतु जिम्मेदार बनाया जाय। सम्बन्धित कार्यो के आगणन प्रस्ताव परीक्षण के समय टी.ए.सी.में भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिये निर्देशित कर दिया जाय।

कार्यवाही–
1. आपदा प्रबन्धन विभाग (शासनादेश हेतु)
2. वित्त विभाग (अनुपालन हेतु)
3. सभी विभाग (अनुपालन हेतु)

(र) जनपदों में हो रहे भवन निर्माण में बिल्डिंग बाइलॉज के अनुपालन के अनुश्रवण में लोक निर्माण विभाग को उत्तरदायी संस्था बनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश अतिशीघ्र कर दिये जायें। लोक निर्माण विभाग इस हेतु नोडल एजैन्सी होगी तथा सभी विभा समन्वय कर इसे सुनिश्चित करायेंगी।
कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिलाधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष

(ल) समस्त सरकारी विभाग शहरी, क्षेत्रों में जहां किसी प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा उस क्षेत्र में निर्माण के प्रस्ताव के नक्शे को स्वीकृत कराने की व्यवस्था है वहां सम्बन्धित प्राधिकारी/संस्था से नक्शा अवश्य पास करायें।
कार्यवाही– 1. सभी विभाग/सरकारी संस्थायें
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।

(व) भवनों/संरचनाओं के निर्माण के आगणनों में सम्बन्धित प्रभारी अभियन्ता यह प्रमाणित करें कि भूकम्परोधी व्यवस्था की गई है तथा उसका अनुपालन भी किया गया है।
कार्यवाही– सभी सम्बन्धित विभाग, कार्यदायी संस्था।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास के मामले में भी भूकम्परोधी व्यवस्था किये जाने हेतु राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लागत अनुमन्य/उपलब्ध कराने (धनराशि बढ़ाने) की कार्यवाही की जाय।
कार्यवाही–एफ0आर0डी0सी0 / वित्त विभाग।

4. इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स भूकम्प अवरोधी तकनीकी के प्रचार प्रसार, राजमिस्त्रीयों का प्रशिक्षण इत्यादि में क्या सहयोग कर सकते हैं, इस हेतु इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स से सम्पर्क स्थापित किया जाये तथा अगेत्तर कार्यवाही की जाय।
कार्यवाही– इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स एवं डी0एम0एम0सी0

5. आपातकाल की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों, अवस्थापनाओं, पुलों अदि में retrofitting हेतु विभाग चरणबद्ध रूप में कार्य करने हेतु बजट व्यवस्था करें। इस हेतु शासनादेश वित्त विभाग की सहमति लेकर निर्गत किया जाय। इस हेतु सर्वप्रथम अस्पतालों, शिक्षा केन्द्रों, जिलाधिकारी एवं आयुक्त कार्यालयों, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, टेलीफोन, अग्निशमन, विद्युत उपकेन्द्र/विद्युत ग्रह, जलभण्डारण टैंक आदि भवनों को प्रथम चरण में अवश्य retrofit किया जाय। इस हेतु 12 वें वित्त आयोग में आवंटित धनराशि में से व्यवस्था पर विचार भी किया जाय।
कार्यवाही– 1. आपदा प्रबन्धन विभाग
2. समस्त सम्बन्धित विभाग
3. जिलाधिकारी।

6. दैवी आपदा के समय सुरक्षित शरण स्थलों की आवश्यकता के दृष्टिगत, पंचायत स्तर/विकास खण्ड स्तर पर किसी भवन को चिन्हित कर उसकी retrofitting की कार्यवाही की जाय।
कार्यवाही– एफ0आर0डी0सी0, आपदा प्रबन्धन विभाग, जिलाधिकारी, डी0एम0एम0सी0।

7. निजी भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्थायें किये जाने हेतु दैवी आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी की ओर से निर्देश निर्गत करने पर कार्यवाही की जाय। आवास/शहरी विकास विभाग द्वारा निर्गत दिनांक 15 जून, 2004 के "नये भवन निर्माण एवं महत्त्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था" सम्बन्धी शासनादेश का गम्भीरता से अनुपालन एवं अनुश्रवण किया जाये।
कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन विभाग, आवास/नगरी विकास विभाग, समस्त जिलाधिकारी।

दिनांक 11.11.2005 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक उपस्थिति अधिकारियों की सूची:–

1– श्रीमती विभापुरी दास, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
2– श्री नृप सिंह नपलच्याल, प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन।
3– श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– श्री पी.सी. शर्मा, सचिव, आवास विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– श्री राकेश शर्मा, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6– श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– श्री मदन सिंह, सचिव, खाद्य विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– श्री राजीव चन्द्र जोशी, अपर सचिव, लो0नि0वि0/परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– श्री चनर राम, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
10– श्री कुँवर सिंह, अपर सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन।
11– डा0 एम.सी. जोशी, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरांचल शासन।
12– श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल शासन।
13– डा0 पी.सी. नवानी, निदेशक, जी.एस.आई. देहरादून।
14– श्री सुब्रत विश्वास, निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तरांचल।
15– श्री आनन्द कुमार शर्मा, निदेशक, मौसम केन्द्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग, उत्तरांचल।
16– डा0 आर. के. पाण्डे, अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
17– डा0 आर.सी. आर्या, महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग उत्तरांचल ।
18– ई0 आर.सी. मित्तल, मुख्य अभियन्ता–1, लो0नि0वि0 उत्तरांचल।
19– श्री एस.एम. सक्सेना, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
20– श्री संतोष बडोनी, अनु सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।
21– डा0 कमल, प्रमुख, भूवैज्ञानिक विभाग, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून।
22– श्री हर्ष कुमार, भूवैज्ञानिक, देहरादून।
23– श्री नवीन सिंह, आई.टी.बी.पी., देहरादून।
24– श्री सलेक चन्द्र, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

हैजर्ड सेफ्टी सेल को पूर्ण रूप से डी0एम0एम0सी0 के अधीन विकसित करने पर विचार किये जाने का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन विभाग, डी0एम0एम0सी0।

भूकम्प अवरोधी तकनीकी में प्रशिक्षण हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अभियंताओं के लिये 2 Regional Resource Centre (भूकम्प अभियांत्रिकी विभाग, आई.आई.टी. रुड़की एवं सिविल अभियांत्रिकी विभाग पंतनगर विश्वविद्यालय, पतंनगर) एवं वास्तविदों के लिये एक Regional Resource Centre (सी.बी.आर.आई. रुड़की) चिन्हित किये गये हैं। Rotation से प्रत्येक विभाग अपने अभियन्ताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– सभी सम्बन्धित विभाग/संस्थायें एवं डी0एम0एम0सी0

10. विकास खण्ड में भूकम्प अवरोधी तकनीकी की best practices के प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रसार हेतु विकास खण्डों में प्रदर्शन भवन बनायें जायें। इसके लिये डी0एम0एम0सी0 को विशेष वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये। UNDP से इस हेतु अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही– डी0एम0एम0सी, आपदा प्रबन्धन विभाग एवं वित्त विभाग।

11. आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा खोज एवं बचाव के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जातें रहें हैं परन्तु जनपदों से संतोषजनक नामांकन प्राप्त नही हो रहें हैं। अतः शासन द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जनपदों द्वारा इसे गम्भीरता पूर्वक लिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक तहसील स्तर पर 06 सदस्यीय 02 खोज एव बचाव दलों गठन कर उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही– समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, डी0एम0एम0सी0।

12. आयुक्त, गढ़वाल/कुनाऊँ ने सुझाव दिया कि आपदा के समय उपयोग हेतु छोटे टैन्ट उपलब्ध नही हो पातें हैं अतः छोटे टैन्ट यथोचित मात्रा में जनपदों में उपलब्ध करायें जायें।

कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन विभाग।

13. बैठक में भूकम्प अवरोधी तकनीकी समस्त शैक्षिणिक संस्थाओं में पाठ्य क्रम के रूप में सम्मिलित किये जाने पर विचार विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, डी0एम0एन0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है कि सी.बी.एस.सी. द्वारा नवीं एवं दसवीं कक्षा में आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य संस्थाओं में लागू किये जाने पर कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भूकम्प अवरोधी तकनीकी एस.सी.ई.आर.टी. तथा अन्य स्कूलों विद्यालयों तथा समस्त शैक्षिणिक सस्थाओं मे पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही– विद्यालयी शिक्षा विभाग, डी0एम0एन0सी0।

अन्त में मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों/संस्थाओं को समयबद्ध रूप से उक्त निर्णयों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष के धन्यवाद सहित बैठक का समापन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्या 1521 /सी0आर0ए0– दै0आ0 दिनांक ०९ दिसम्बर, 200

विषयः नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

प्रेषित,

1–उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण।

2–सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न आयुक्त गढवाल पौड़ी के पत्र संख्या 1428/पी0ए0–2005 दिनांक 25 नवम्बर 2005 जो समस्त जिलाधिकारी गढवाल मण्डल एवं उपाध्यक्ष/सचिव प्राधिकरण को सम्बोधित है के साथ संलग्न शासनादेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि शासनादेश में उल्लेखित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

प्रभारी अधिकारी(संग्रह)
कृते जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः

1– उप जिलाधिकारी रुड़की को सलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– स्थानीय निकाय सहायक को शासनादेश की छायाप्रति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी(संग्रह)
कृते जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सचिव

19.12.05

Dy Secty

Secty

प्रस्ताव संख्या–39(01)

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 आदर्श प्रारूप मे नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा में भूकम्प रोधी व्यवस्था का परिचालन विधि से अंगीकरण किया जाना।

शासनादेश सं0–2851 / आ0/ अभि0/ 2001–58/ आवास/ 2001 नगर विकास अभियन्त्रण शाखा देहरादून के आदेश दिनांक 4–10–2001 एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल गढ़वाल के पत्र सं0–1428/ पी0ए0–2005 दिनांक 25 नबम्वर 2005 द्वारा नये भवन निर्माण एवं महत्वूपर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आवास अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–1157 / 9–आ–3–1999 –2आ0नी0/ 89 दिनांक 09 मार्च 1999 (आलेखानुसार) जो कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 30 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02–03–2000 को अंगीकृत है तथा आवश्यक संशोधन उपरान्त हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 (आलेखानुसार) शासनादेश सं0–4716/ 9आ–1–29 विविध/ 98 दिनांक 21 अक्टूबर 2000 आवास अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा लागू है। पुनः आदेश सं0–374/ श0वि0आ0/ 2003 दिनांक 15 नवम्बर 2003 (आलेखानुसार) आवास एवं शहरी विकास, उत्तरांचल शासन देहरादून के द्वारा संशोधन जारी किया गया है। शासनादेश सं0–2851/ आ0/ अभि0/2001–58/ आवास/ 2001 दिनांक 04–10–2001 द्वारा पूर्व जारी शासनादेश सं0–1665/आ0/अभि0/2001 –58 / आवास/ 2001 दिनांक 19 जुलाई 2001 के कम में (आलेखानुसार) आंशिक संशोधन किया गया है। उपरोक्त कम में शासन के आदेश सं0–573/श0वि0आ0–02–58(आ)/ 2001 शहरी विकास / आवास अनुभाग उत्तरांचल शासन, देहरादून दिनांक 18 जुलाई 2002 (संलग्न आलेखानुसार) प्राविधान किया गया हैं अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय द्वारा उपरोक्त शासनादेशों को अपने पत्रांक 1428/ पी0ए0–2005 दिनांक 25 नवम्बर 2005 द्वारा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं उपरोक्तानुसार हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधन एवं शासनादेश प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अंगीकृत करने हेतु परिचालन विधि द्वारा बोर्ड बैठक सं0–39 वीं में आवश्यक संशोधन भूकम्परोधी प्राविधानों को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्ताव अनुमोदन उपरान्त हरिद्वार ऋषिकेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में उक्त संशोधन के साथ व्यवस्था लागू होगी।

अतः प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, हरिद्वार

अध्यक्ष नगर पंचायत मुनि-की-रेती टिहरी गढ़वाल

सचिव ह0 वि0 प्रा0

जिलाधिकारी हरिद्वार

उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार